न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 98 / 2024

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. जालमसिंह पुत्र वेजदान 2. गजेन्द्र कंवर पत्नी जालमसिंह जातिगण चारण निवासीगण घोसीवाडा, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला– पाली।	बनाम	1. अशोक दान पुत्र वेजदान जाति चारण निवासी रेन्दडी रोड, चारणों का जाव, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. नृसिंहदान पुत्र वेजदान जाति चारण निवासी राणावास तह0 मारवाड जंक्शन जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम सिंह दहिया अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।
3. तहसीलदार सोजत भूमिधारक स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक 26/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत में प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1304 / 1, 1305 / 1, 1329 / 5 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर की कृषि भूमि तथा उसके पडौस में ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की भूमि के खसरा नंबर 1302 / 5, 1304, 1305, 1329 / 4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 01 व 02 की कृषि भूमि के बीच स्थित माठो एवं सीमाओं एवं धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते है तथा मौके पर माठो एव सीमाओं के विवाद को लेकर आपसी मग मुटाव व विवाद होते रहते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रार्थी की उक्त भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य माठ, सीमाओ की वजह के कारण हर समय विवाद होने की संभावना होने पर प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के सीमाकंन एवं पैमाईश हेतु आवेदन तहसीलदार सोजत के समक्ष दिनांक 06 / 05 / 2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी ग्राम सोजत चक द्वितीय को उक्त सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट में मौके पर सीमाओं पर विवाद होने के कारण सीमाकंन नहीं किया गया और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मौके पर प्रार्थी से सीमाज्ञान / पत्थरगड्डी के अभाव में लगातार विवाद कर रहे है जिस हेतु प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मौके पर मुटाम लगवाकर पत्थर गड्डी करवाना चाहते है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत में प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1304 / 1, 1305 / 1, 1329 / 5 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1302 / 5, 1304, 1305, 1329 / 4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर के पडौस मे ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के खसरा नंबर 1302 / 4, 1304, 1305 / 2, 1304 / 2,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

1329/3, 1329/6 भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने के आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 02 के बावजूद सूचना/तामीली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि के पडौस मे ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के खसरा नम्बर 1302/4, 1304, 1305/2, 1304/2, 1329/3, 1329/6 की कृषि भूमि आई हुई स्थित हैं, जबकि प्रार्थीगण की भूमि के पडौस मे ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खसरा नम्बर 1304/2, 1305/2, 1328/1, 1329/6 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.2615 हैक्टर आई हुई स्थित हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि के खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड अनुसार 1302/4, 1303/4, 1329/3 आई हुई स्थित हैं लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खसरा नम्बर 1328/1 वर्णित ही नहीं किया इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि के खसरा नम्बर 1303/4 वर्णित ही नहीं किया गया जो कि राजस्व रेकर्ड में इनके नाम दर्जसुदा है। इसी प्रकार जो खसरा नम्बर 1304 अप्रार्थीगण के नाम होना वर्णित किया है तथा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में प्रार्थीगण के नाम होना वर्णित किया है जो अपने आप में विरोधाभाषी है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच स्थित माठो एंव सीमाओं के विवाद को लेकर मौके पर भारी विवाद होते रहते है तथा आपसी मनमुटाव व विवाद होता रहता है तथा प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की उक्त भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करता हैं तथा सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता हैं तथा यह लिखना भी गलत है कि मौके पर हर समय सीमाओं एंव माठो को लेकर विवाद किया गया जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कब प्रार्थी से सीमाओं व माठो को लेकर विवाद किया गया यदि ऐसा कोई विवाद किया जाता तो अवश्य ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही किये जाने का प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि मात्र प्रार्थी द्वारा पद में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर माठ व सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने के तथ्य वर्णित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माठ व सीमाओं को लेकर विवाद करने के कथन गलत हैं तथा प्रार्थी का पद में यह लिखना कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय सोजत के समक्ष दिनांक 06/05/2024 को सीमाकंन व पैमाईश हेतु आवेदन पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट में मौके पर सीमाओं को लेकर सीमाकंन नही किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर कभी भी सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं किया गया, तथा प्रार्थी का यह लिखना भी गलत है कि अप्राथर्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर विवाद किया जा रहा है, जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्त है मात्र प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को तंग परेशान करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के पश्चात धारा 111 एल.आर.एक्ट के तहत मुटाम व जांच रिपोर्ट हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया हैं जिसके अभाव में भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। अप्रार्थी सं0 03 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत में प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1304/1, 1305/1, 1329/5 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर एव खसरा नंबर 1302/5, 1304, 1305, 1329/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर के पडौस मे ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

नंबर 1302/4, 1304, 1305/2, 1304/2, 1329/3, 1329/6 भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने के आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा झूठा एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर यह प्रा0पत्र पेश किया है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की मध्य की मांठो को लेकर कोई विवाद नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रा0पत्र पेश किया हैं। जो काबिले खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा बहस उभय पक्षकारान के आधार पर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1304/1, 1305/1, 1329/5 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1302/5, 1304, 1305, 1329/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर के पड़ौस मे ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के खसरा नंबर 1302/4, 1304, 1305/2, 1304/2, 1329/3, 1329/6 भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1304/1, 1305/1, 1329/5 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1302/5, 1304, 1305, 1329/4 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.2860 हैक्टर के पड़ौस मे ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के खसरा नंबर 1302/4, 1304, 1305/2, 1304/2, 1329/3, 1329/6 की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 21/06/2025 को सरे ईजेंलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत